कार्यालय : मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उत्तराखण्ड

विश्वकर्मा भवन प्रथम तल, 4 सुभाष रोड़ सचिवालय परिसर, देहरादून–248001

email id election09@gmail.com फोन न0 (0135) – 2713760, 2713551 फैक्स न0 (0135) –2713724

संख्या: 1006 /XXV- 14/2024 देहरादून दिनांक 04 मार्च, 2024

चुनाव का पर्व
DESH KA GARV
LOK SABHA ELECTION 2024

–: <u>प्रेस नोट</u> :–

भारत निर्वाचन आयोग के पत्र संख्या–3/4/2022/SDR/Vol.II दिनांक 04 मार्च, 2024 के साथ प्राप्त भारत सरकार, विधि और न्याय मंत्रालय (विधायी विभाग) की अधिसूचना संख्या– 995 (अ) दिनांक 01 मार्च, 2024 के क्रम में सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम–1951 (1951 का 43) की धारा–169 के साथ पठित धारा–60 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, निर्वाचनों का संचालन नियम–1961 के नियम–27क के खण्ड (ड.) में ''80 वर्ष से अधिक'' अंको और शब्दों के स्थान पर ''85 वर्ष से अधिक'' अंक और शब्द रखे जाएंगे।

अर्थात पूर्व में 80 वर्ष से अधिक आयु के वरिष्ठ मतदाताओं को घर पर डाक मतपत्र के माध्यम से मतदान का विकल्प उपलब्ध था अब यह विकल्प 85 वर्ष से अधिक आयु के वरिष्ठ मतदाताओं को उपलब्ध होगा। राज्य में 85 वर्ष से अधिक आयु का कोई भी वरिष्ठ मतदाता जो शारीरिक रूप से मतदेय स्थल पर उपस्थित होकर अपने मताधिकार का प्रयोग करने में असमर्थ हैं, ऐसा कोई भी वरिष्ठ मतदाता भारत निर्वाचन आयोग से निर्वाचन कार्यक्रम की घोषणा से निर्वाचन की अधिसूचना जारी होने की तिथि से पाँच दिन के अन्दर **फार्म–12डी** पर अपना आवेदन संबंधित बीएलओ के माध्यम से रिटर्निगं आफिसर को प्रस्तुत कर सकते हैं। 85 वर्ष से अधिक आयु के वरिष्ठ मतदाताओं के लिए यह सुविधा वैकल्पिक है। यदि कोई वरिष्ठ मतदाता मतदेय स्थल पर उपस्थित होकर अपने मताधिकार का प्रयोग करने का इच्छुक है तो ऐसे किसी भी वरिष्ठ मतदाता को फार्म–12डी पर आवेदन करने की आवश्यकता नहीं है।

अतः राज्य के समस्त मतदाताओं से अनुरोध है कि लोक सभा के आगामी सामान्य निर्वाचन में अपने मताधिकार का प्रयोग अवश्य करें।

Signed by Basava Venkata Rama Chandra Purushottam
Date: 04.03.2024 16:53:10
Reason: Approved

(डॉ. बी.वी.आर.सी.पुरूषोत्तम)
मुख्य निर्वाचन अधिकारी
उत्तराखण्ड।

<u>संख्या–1006/XXV–14/2024 तद्दिनांकित।</u>

<u>प्रतिलिपि</u> :–

1. महानिदेशक, सूचना एंव लोक सम्पर्क विभाग, उत्तराखण्ड को इस आशय से प्रेषित कि उक्त प्रेसनोट को सर्वसाधारण की जानकारी के लिए राज्य के सभी समाचार पत्रों में निःशुल्क प्रकाशित करवाते हुए प्रकाशन संबंधी समाचार पत्रों की कटिंग अधोहस्ताक्षरी को प्रस्तुत करने का कष्ट करें।
2. समस्त प्रदेश अध्यक्ष/महामंत्री/सचिव, मान्यता प्राप्त राजनैतिक दल उत्तराखण्ड को आयोग के उक्त संदर्भित पत्र की प्रति सहित सूचनार्थ प्रेषित।

(डॉ. बी.वी.आर.सी.पुरूषोत्तम)
मुख्य निर्वाचन अधिकारी
उत्तराखण्ड।